

माँ

BINDU RAJAGOPAL

S,

प्यारी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ  
तू ही है, बस तू ही  
मुझे ममता देने वाली  
ओ मेरी प्यारी माँ ।

दुख सुख और पढाई में  
हर बक्क साथ रहने वाली  
तू ने संसार दिखाया,  
सीधे रास्ते पर लायी ।

तेरे प्यार से मैं दब गयी  
इसके बिना मैं क्या होती,  
यह मैं सोच भी नहीं सकती  
ओ मेरी प्यारी माँ ।

इसके बदले मैं तुझे  
मैं क्या दे सकती बोल ?  
तू ही मेरी देवी है  
तू ही मेरी सब कुछ है ।

“एकता में बल है”—यह वाक्य कितना सार्थक है। आज का हर भारतीय इस वाक्य को जैसे भूल ही गया है। श्रीमती इन्दिरागांधी की निर्दय हत्या और उसके बाद दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों में हुए साम्प्रदायिक दंगे यह साफ जाहिर करते हैं कि भारतीयों के बीच एकता कितनी कमजोर हो गई है तथा साम्प्रदायिक बरबादियों से आम जनता का जीना कितना मुश्किल हो गया है। एक प्रजातंत्र राष्ट्र में इससे बड़ी दुखपूर्ण बटना और क्या हो सकती है जब उसके अपने चुने हुए नेता की बदलौ मतदान के बदले गोलियों की बौछार से की गयी हो। यह घटना हर नागरिक के लिए पाठ है कि जिस प्रजातंत्र देश के प्रधान मंत्री को बन्दूक से हटाया जा सकता है उस देश में प्रजातंत्र का अर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। राष्ट्रीय एकता पर अटूट विश्वास रखनेवाली श्रीमती गांधी भी इस एकता को सबल बनाते बनाते शहीद हो गयीं। इसीलिए शहीद हुई कि उन्होंने ने पंजाब के आतंकवादियों के साथ ईंट से ईंट बजा दिया था।

आजकल साम्प्रदायिक दंगों प्रत्येक नागरिक के ऊपर फाँसी के फँदे की तरह छाये हुए हैं। हमें इन दंगों की बू आएगी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की एकता गहरे संकट में है। इसके उत्तरदायी क्या केवल पंजाब के आतंकवादी, महाराष्ट्र की शिव सेना आदि ही है? या आप जैसे, मुझ जैसे प्रत्येक नागरिक उत्तरदायी है? क्या दक्षिण का मद्रासी उत्तर के पंजाबी को अपना भाई मानेगा? क्या उच्चवर्ग का एक व्यक्ति एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करेगा? इन प्रश्नों का उत्तर सन्तोषजनक नहीं होगा।

भारतवर्ष का प्रत्येक मनुष्य अगर एक दूसरे का उपकार करे तो उस से ही परस्पर एकता बढेगी। इसलिए उसकी महिमा इसी में है कि वह दूसरों के लिए जीना तथा मरना सीखे।

“परोपकारार्थं फलन्ति वृक्षः परोपकारार्थं बहन्ति नद्याः।

परोपकारार्थं दुहन्ति गोवः परोपकारार्थं मिदं शरीरः॥ वास्तव में परोपकार की प्रवृत्ति में एकता की भावना रहती है। अतः जहाँ परोपकार नहीं, वहाँ एकता कहाँ हो सकती है?

भारत एक जटिल समाज है जिसमें असंख्य भाषाएँ धर्म एवं संस्कृतियाँ वर्षों से चली आ रही हैं। तब यहाँ छोटे-बड़े झगड़े तो स्वाभाविक ही हैं। धार्मिक एवं वर्गीय दंगे

भी हो सकते हैं। हर दंगे के बाद नेता बड़ी चाव से राष्ट्रीय एकता पर भाषण देते हैं। इसके अतिरिक्त सभाओं का आयोजन होता है।... बस। कुछ समय बाद दंगे फिर से दुहराये जाते हैं। केवल शपथ लेने तथाविचार विमर्श से एकीकरण कहाँ से आएगा।

हमारे देश की खूबा यह है कि यहाँ पर पंजाबी हैं मराठी हैं, मलयाली हैं, सब हैं। लेकिन एक भारतीय का यहाँ मिलना कठिन है। इसलिए पहले हम सब को भारतीय बनना पड़ेगा। लेकिन जब तक यहाँ नेता भेडे को खाल में छुपे भोडिये बन विचरते हैं, तब तक ऐसा होना कठिन है। एक ओर से ये राष्ट्रीय एकीकरण की बातें करते हैं तो दूसरी ओर अपने स्वार्थलाभ के लिए साम्प्रदायिक दंगों को उभाडते हैं। जिसप्रकार ज्वालामुखी भरती की मुलायम जगह को तोडकर नाश करती है, उसीप्रकार अधिकार लोलुप नेता लोग धर्म, जाति आदि पर चोटकर हर जगह आशान्ति फैलाते हैं।

इस साम्प्रदायिकता को हटा कर राष्ट्रीय एकीकरण करना नाकों चने चबाने के बराबर है। केवल एक भाषा का प्रयोग न करना इस समस्या की और भी जटिल बना रहा है। शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हर क्षेत्र में चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए न कि जाति एवं पैसे के बल पर।

लेकिन इनके पहले कुछ अन्य समस्याओं को भी सुलझाना है— गरीबी और अज्ञान। इन दोनों का आगर समाधान न हुआतब शेष के संबन्ध में सोचना ही कठिन है।

कुछ बाहरी ताकतें भी भारत की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को गहरी चोट पहुँचा रही हैं। धर्म को लेकर यहाँ कुछ लोग बिगडी हुई स्थिति को और भी बिगाड रहे हैं। अतः इन समस्याओं को सुलझाने में और भी समझदारी चाहिए। केवल सकार इन समस्याओं का हल कभी नहीं कर सकती।

भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपनी मातृभूमि को सुदृढ बनाये। अगर एक पागल सिख ने हमारी प्रिय नेता का वध किया तो इसमें अन्य सिखों का क्या दोष है? क्या बापू और चाचा नेहरू ने हमें यही संदेश दिया था? हमें अपने प्रिय नेताओं के आदेशों पर चलना चाहिए और अपने खून को एक एक बूँद को राष्ट्र के एकीकरण के लिए भेंट कर देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य रहेगा और यही हमारा दृढ निश्चय रहेगा।

उच्च शिक्षा की प्रगति हर देश के भविष्य और उन्नति का मापदण्ड है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "अगर विश्वविद्यालयों में सब ठीक है, तो अवश्य देश में भी सब ठीक होगा।

जहाँ तक संख्या में बढ़ती का सवाल है, भारतीय 'रेकार्ड' काफी प्रशंसनीय है। उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या हर साल 9-2 प्रतिशत से बढ़ रही है। उच्च शिक्षा के हर विभाग में छात्रों की संख्या में बढ़त हुई है। लड़कियों की संख्या इस क्षेत्र में करीब 17 गुना बढ़ गई है। भारत में कई राज्यों में उद्योगों की काफी उन्नति हुई है। इन राज्यों में पोलिटेकनिक और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

छात्रों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की इस बढ़ती के कारण सरकार को बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ रहा है। इसमें से आधे से भी ज्यादा भाग कर्मचारियों की वेतन देने के लिए खर्च किया जाता है।

छात्रों और कालेजों का संख्यावृद्धि कई कठिनाईयाँ भी लायी हैं।

आजकल छात्रों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। कालेजों की संख्या भी इस कारण बढ़ती रहती है। नए नए कालेज शुरू किए जा रहे हैं। पुराने कालेजों में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ाई जाती है। भारत में जो नियमित व्यवस्था है उसके अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा चलाते हैं। इस बढ़ती हुई संख्या के कारण आज हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय सिर्फ एक परीक्षा केन्द्र बन गया है। विश्वविद्यालयों का लक्ष्य है — "उच्च शिक्षा की उन्नति करना"। लेकिन इस लक्ष्य को आज कोई महत्व

नहीं दिया जाता है। इस स्थिति को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि एक अलग संस्था की स्थापना की जाए। इस संस्था का काम परीक्षा, सम्बन्धित कार्य की देख रेख करना होगा। इस तरह की संस्था की स्थापना के बाद ही विश्वविद्यालय अपने बुनियादी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से खेती-बाड़ी भारत की रीढ़ है। आधे से भी ज्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा की संस्थाएँ आम तौर पर शहरों में ही होती हैं। जो संस्थाएँ पिछड़े इलाकों में हैं उनमें ऐसे विषय पढाये जाते हैं जिससे गाँव वालों को अधिक फायदा नहीं होता। जब उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या हर साल करीब 9.2 प्रतिशत से बढ़ी है तब कृषि विद्यालयों में सिर्फ 2.6 प्रतिशत से वृद्धि हुई है। इसका यह कारण है कि कृषि पढानेवाली संस्थाओं की कमी है। गाँवों में स्थित संस्थाओं में परमाणु-शक्ति जैसे विषय पढाए जाते हैं। यह ठीक नहीं है गाँवों में बगो गैस और कम धुआँ-वाले चूल्हों की जरूरत है। यह सब दृष्टि में रखकर पिछड़े इलाकों में एसी उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो उन इलाकों की प्रगति करें।

जो धन राशि विश्वविद्यालयों के लिए दी जाती है, उसमें से बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जाता है। शोधकार्य और नए उपकरण खरीदने के लिए बहुत कम पैसा बच जाता है। इस कारण विश्वविद्यालयों में बहुत से अच्छे अध्यापक जिन्हें शोध करने का उत्साह होता है निराश होते हैं। कई विदेश में चले जाते हैं जहाँ उच्च स्तर का शोध कार्य करने की सुविधाएँ रहती हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय और देश का ही नुकसान है। कई केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जानेवाली शोध

संस्थाओं में शामिल हो जाते हैं। इससे विश्वविद्यालयों का बहुत नुकसान है। यह हालत बदलनी चाहिए। इस देश की प्रतिभा यहीं रहे, यहीं रहकर देश की प्रगति के लिए प्रयत्न करे, ऐसी अवस्था होनी चाहिए।

कालेज और विश्वविद्यालयों में राजनैतिक दल घुस आए हैं और कालेज 'यूनियन' आदि पर काबू कर चुके हैं। यह उच्च शिक्षा को प्रगति के लिए बाधा है। विद्यार्थियों का अपना संगठन होना चाहिए। मगर वह जरूरी नहीं कि यह संगठन राजनैतिक दलों के विद्यार्थी संघ की तरह पेश आएँ। जो व्यक्ति कालेज—यूनियन चुनाव में विजय पाता है, वह अपने बल पर नहीं, बल्कि जिस पार्टी का उम्मीदवारा बनके वह खड़ा होता है उसके बल पर विजयी होता है। ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी की भलाई के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते हैं कि कालेज और विश्वविद्यालयों से राजनैतिक दलों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं सुझाया जा रहा है जिसे आसानी से लागू किया जा सके। राजनैतिक दलों को विश्वविद्यालयों से दूर रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नीति बनाई है कि 'सेनेट' में सिर्फ सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे जो उच्च शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण योग दे सकेंगे। कई सरकारों ने इस नीति को अपनाया भी है। लेकिन जो सदस्य नियुक्त किये गये हैं वे भी

राजनैतिक दलों के सदस्य हैं। इनमें से बहुतों ने कालेज का मुँह तक नहीं देखा है। इस तरह के लोग उच्च शिक्षा की प्रगति में क्या योग दे सकेंगे ?

जैसे पहले बताया गया अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा संचालन केन्द्र बन गया है। विद्यार्थियों में अनुशासन भी बंद गया है। सरकार ऐसे उपकूलपतियों को नियुक्त कर रही है जो आई-ए-एस या आई पी एस हो। इस तरह के व्यक्ति अनुशासन और परीक्षा सम्बन्धित कार्य ठीक तरह से कर पाएँगे। मगर शोध कार्य में अध्यापकों और शोध छात्रों को नेतृत्व, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन नहीं दे पाएँगे।

इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की उच्च-शिक्षा क्षेत्र एक दिशा-संधि पर है। एडी से चोटी तक अनेक दोष देख सकते हैं। इन सब का विशद विश्लेषण कर इनके निवारण के लिए प्रयत्न करने का समय आया है। क्यों कि इक्कीसवीं शताब्दी की ओर कदम बढ़ाने वाली एक जनता के लिए विल्कुल अनुरूप नहीं है हमारी उच्च शिक्षा पद्धति। यदि हम देश और काल के अनुरूप बदलने को तैयार नहीं हैं तो यह आनेवाली पीढ़ी के प्रति किया जानवाला अक्षय्य अपराध होगा।